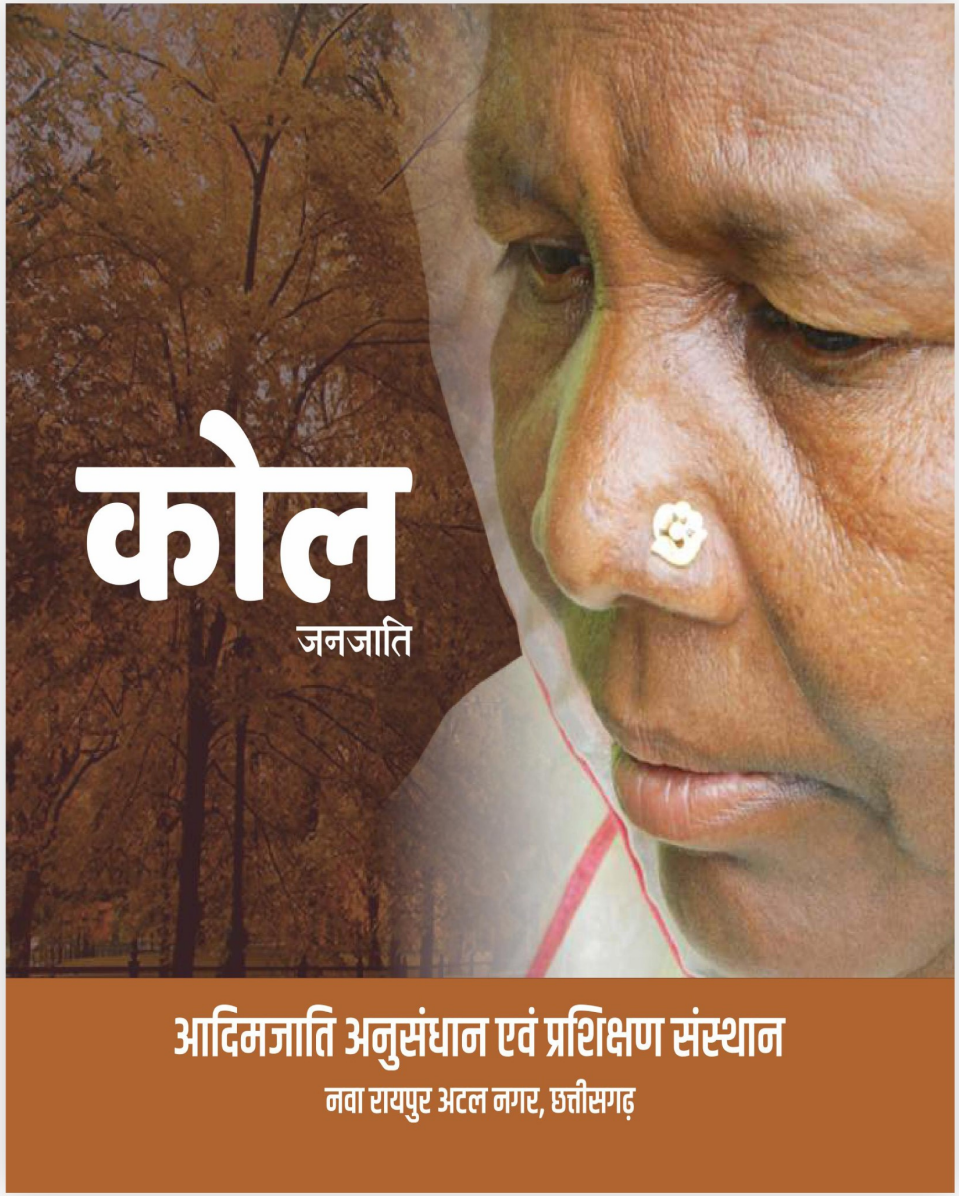
कोल
जनजाति
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

प्राक्कथन

भारतीय समाज व संस्कृति को जनजाति संस्कृति निराली छवि प्रदान करती है। जनजाति वह समूह है, जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, किसी आदि पूर्वज से अपना उद्‌गम मानता है, जिसकी एक सामान्य संस्कृति है और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से सापेक्षिक रूप से वंचित है। जनजातियों को अपनी संस्कृति बनाए रखने तथा अपनी सामाजिक–आर्थिक स्थिति ऊँची करने के लिए भारतीय संविधान में इन्हें संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है ताकि वे अपनी संस्कृति को बनाए रखकर भारतीय समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें।

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 42 जनजातीय समुदायों एवं उसके उपजातियों को उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है,जिसमें अनुक्रमांक 24 पर कोल जनजाति अधिसूचित है।

कोल जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यतः गौरेला–पेंड्रा–मरवाही ,कोरिया, सरगुजा , रायगढ़, बिलासपुर तथा मुंगेली आदि जिलों में निवासरत है। इनमें "रौतेल", "ठाकुरिया", "कठौतहा", "सोनवानी", "सरैया", "घुरइया", "बरऊहा", "बधईया", "भूमिया", "पटकहा", "झलइहा", "कांशी", "गौटिया", "कथारिया" आदि प्रमुख ''बान'' या गोत्र माने जाते हैं।

कोल जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि, मजदूरी, वनोपज संग्रहण, पशुपालन, एवं उद्यानिकी पर आधारित है।

कोल जनजाति ''मिचुक''व ''मिचुकिन'' आदि पूर्वज देव, ''दूल्हादेव'', ''अंधियारी'', ''खेरमाता'', ''मसवासी माता'', ''भईसोखर माता'', ''सत्ती माता'', ''कालीका माता'', ''आलोप'' आदि को प्रमुख गृह देवी–देवता के रूप में मानते हैं। इनके द्वारा मुख्य रूप से ''नवाखानी'', ''बीज बोनी'', ''हरेली'', ''फगुवा'' (होली), ''खुंजलईहा'' या ''भोजलु'' (भोजली) ''दशहरा'', ''दीवाली'', ''जवारा'' (नवरात्रि के समय) आदि त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है।

छततीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के "**छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला**" के अन्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा '**कोल**' **जनजाति के जीवनशैली पर आधारित फोटो हैण्डबुक** प्रकाशित की गई है। हम आशा करते है कि, संस्थान के संचालक के मार्गदर्शन में अनुसंधान दल द्वारा तैयार की गई इस पुस्तिका में दर्शित तथ्य राज्य के संबंधित जनजाति समुदाय एवं जनजातीय संस्कृति में रूचि रखने वाले लोगों के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगी।

शम्मी आबिदी (IAS)
संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

डी.डी. सिंह (IAS)
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

कोल जनजाति

मार्गदर्शन : शम्मी आबिदी (आई.ए.एस.)
संचालक

प्रस्तुतिकरण : ईश्वर साहू

सहयोग : आनंद सिंह परमार
भूषण सिंह नेताम
दीपा शाईन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

परिचय

कोल, छोटा नागपुर पठार की एक प्रमुख जनजाति है, जहां से मध्यभारत एवं सेन्ट्रल प्रोविन्सेस की ओर विस्तारित हुई है। यह समुदाय झारखण्ड, मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के **गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली जिलों** में अल्प संख्या में निवासरत है।

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु घोषित 42 अनुसूचित जनजातियों में से अनुक्रमांक 24 पर कोल जनजाति अधिसूचित है।

छततीसगढ़ राज्य में कोल जनजाति के निवासरत जिलें

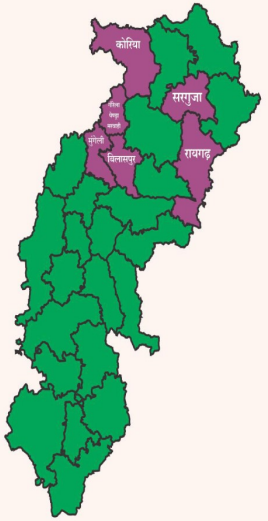

Virendra Kol 7415258321

जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कोल जनजाति की जनसंख्या 20873 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 10433 एवं महिला जनसंख्या 10440 है। कोल जनजाति की साक्षरता दर 49.37 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 58.70 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 40.05 प्रतिशत है, कोल जनजाति में लिंगानुपात 1001 है।

उत्पत्ति एवं इतिहास

के.एस.सिंग की कृति पीपुल्स ऑफ इंडिया में उल्लेख अनुसार ''**कोल**'' शब्द सम्भवतः मुण्डारी बोली के शब्द ''को'' से व्युत्पन्न प्रतीत होता है जिसका अर्थ ''**वे**'' या ''**अन्य**'' से है। वहीं रसेल एण्ड हीरालाल के अनुसार कोल शब्द सन्थाली बोली के ''**होरो**'' से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ ''**मानव**'' से है। संस्कृत साहित्य में ''**भील**'' और ''**किरात**'' के साथ ''**कोल**'' का उल्लेख मिलता है तथा मध्यकाल में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस में कोल प्रजाति अथवा समुदाय का उल्लेख मिलता है।

रसेल एण्ड हीरालाल (1916) की कृति ट्राईब्स एण्ड कास्ट आफ सेन्ट्रल प्रोविन्सेस ऑफ इंडिया में उल्लेख अनुसार यह कोलारियन समूह की एक जनजाति है तथा कोलारियन व मुण्डारी भाषा समूह की ''**कोली**'' बोली का उपयोग करती है।

मध्य प्रांत के कोल सम्भवतः छोटा नागपुर के मुण्डा जनजाति से ही संबंधित है, परन्तु बाद में एक पृथक समुदाय के रूप में स्थापित हुआ है।

कोल जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ में निवासरत कोल जनजाति समाज प्रमुखों के अनुसार कोल जनजाति के राजा **कोलगढ़ी** (त्योथर) रीवा क्षेत्र (म.प्र.) में राज्य करते थे, वहीं से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। कुछ लोग अपने को शिवरी के वंशज मानते हैं।

बसाहट एवं आवास

कोल जनजाति निवासित ग्राम भौगोलिक स्थिति के अनुरूप लम्बवत, गोलाकार व आयताकार रूप में बसा होता है। दोनों ओर कतारनुमा घरों के बीच में सड़क होती है। कुछ गांवों में इनका अलग पारा/टोला होता है, जिसे कोलपारा कहते हैं।

ग्राम में एक बड़ा चबुतरा या "चौरा" बना होता है जहां सभी ग्रामवासी बैठक, मनोरंजन या सामाजिक चर्चा के लिए एकत्रित होते हैं।

कोल जनजाति के लोग ग्राम की सीमा में, साल, पीपल आदि वृक्षों के झुण्ड के नीचे ग्राम देवी–देवताओं का वास मानते हैं। उक्त स्थान को ''चौरी'' नाम से जाना जाता है।

कोल जनजाति सदस्य प्रायः 2–3 कमरों का कच्चा आवास बनाते हैं, जिसके दीवार मिट्टी के एवं छत देशी खपरैल से बनी होती है। दीवार को सफेद या पीली मिट्टी से पुताई करते हैं। घर का फर्श भी मिट्टी का बना होता है जिसे महिलाएं गोबर से लीपती हैं। मकान के सामने भाग को परछी कहते हैं। परछी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ओढ़ने व बिछाने का कपड़ा टांगने के लिए बांस या रस्सी बांधी जाती है जिसे ''ओढ़दसनी'' कहते हैं।

परछी के एक कोने में रसोई बनायी जाती है एवं बीच के कमरे में अनाज एवं अन्य खाद्य सामग्री रखा जाता है। इसी कमरे के एक कोने में देवी–देवता का स्थान भी होता है जहां "पूर्वज" देव एवं "ठाकुर देव", "दूल्हादेव", "बघौत", "अंधियारी" आदि देवी–देवताओं का वास माना जाता है। आंगन में पानी रखने के लिए ''घिनौची'' होती है जिसमें पानी के बर्तन रखे जाते हैं। घर के पीछे बाड़ी होती है जिसमें साग–सब्जी ऊगाते हैं।

भौतिक संस्कृति

कोल जनजाति में रसोई उपयोगी वस्तुओं में "डेचकी", "कठौता", "तेलईया", ''डऊआ'' (करछुल), "घड़ा", "लोटा", "कढ़ाई", "बटुआ", "गिलास", "थाली" आदि पाया जाता है जिसका खाना पकाने, खाना खाने एवं पानी रखने आदि के लिए उपयोग किया जाता है।

मसाले व चटनी आदि पीसने के लिए पत्थर से बना ''सिलपट'' (सील–लोढ़ा) पाया जाता है। घरेलू उपयोग की प्रमुख वस्तुओं में अनाज साफ करने का "सूपा", अनाज पीसने का "जाता", अनाज कुटने का "ढेकी" व "मूसल", धान एवं कोदो को कुटने एवं छिलका निकालने के लिए पत्थर निर्मित "चकरी", "चकरा" का उपयोग किया जाता है।

घर में प्रकाश व्यवस्था हेतु ''ढेबरी'' (चिमनी) एवं दीया का उपयोग किया जाता है। धान के पैरा को लपेट कर बैठने के लिए पीढ़े जैसा ''गैठा'' बनाया जाता हैं। कुछ लोग लकड़ी व बगई रस्सी से बना एक–दो फीट ऊंचा ''मचिया'' का उपयोग भी बैठने के लिए करते है।

कृषि एवं मजदूरी में उपयोगी उपकरणों में "नागर" (हल), "सब्बल", "फावड़ा" "हसिया", "गैता", "टांगी", "सिका–कावर" आदि प्रमुख है। इनके द्वारा मुख्य रूप से धान, मक्का, दलहन, तिलहन आदि की फसलें उगायी जाती है। अनाज का जिसमें भण्डारण किया जाता है, उसे ''बखरी'' एवं ''कुठला'' कहा जाता है जो बांस निर्मित होता है। खेत से खलिहान तक फसल को लाने के लिए लकड़ी से बने बैल गाड़ी का उपयोग करते है।

कोल जनजाति पूर्व समय में पारंपरिक रूप से शिकार करते थे जिसमें तीर–धनुष, बगुड़ (फांदा), गुलेल, गुल्ला, धनुष का गुल्ला, फरसी आदि का उपयोग किया जाता था। गरी, कुमनी, चोरिया, जाल आदि मत्स्याखेट में उपयोगी प्रमुख उपकरण है।

कोल जनजाति की महिलाएँ गहने पहनने की शौकीन होती है, इनके आभूषण "सूतिया", "छननी", "अगईया", "बहता", "नागमोरी", "गोठहरा", "ऐरान", सिक्के की माला "धार कोसमा", "बिछिया", "करधन", एवं "अद्धी" इत्यादि प्रमुख है।

कोल जनजाति की महिलाओं में गोदना गुदवाने की प्रथा पायी जाती है। मान्यता है कि गोदना मृत्यु पश्चात शरीर के साथ भगवान के पास जाता है। साथ ही गोदने को शरीर की सुंदरता का प्रतीक भी मानते हैं। प्रायः "चीड़ी" (पक्षी) पान, कांटा आदि प्रतीकों का गोदना हाथ पैर की पिंडली में, गला एवं ठुड्डी में गुदवाया जाता है।

सामाजिक संरचना

कोल जनजाति पितृवंशीय, पितृ सत्तामक एवं पितृ स्थानीय या नव स्थानिक जनजाति है। इनमें संयुक्त परिवार की तुलना में केन्द्रीय परिवार अधिक पाये जाते हैं। केन्द्रीय परिवार में माता–पिता एवं उनकी संतानें एक ही घर में निवास करते हैं। जहां पिता परिवार का मुखिया होता है, जिस पर परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा एवं भरण–पोषण का दायित्व होता हैं वहीं माता गृह कार्य, रसोई भोजन व्यवस्था, बच्चों का लालन–पालन के साथ–साथ अपने पति के साथ अर्थोपार्जन के कार्य में भी सहयोग करती हैं। बड़े–भाई बहन अपने छोटे–भाई बहनों की देखभाल करने में अपने माता–पिता का सहयोग करते हैं।

कोल जनजाति में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी नातेदारी प्रमुख है तथा आपसी संबोधन में विभिन्न शब्दावलियों के द्वारा उन्हें संबोधित किया जाता है। इनमें परिहार एवं परिहास संबंध भी पाये जाते हैं। ससुर–बहू, जेठ–बहू, सास–दामाद आदि नातेदारियों के बीच परिहार संबंध पाये जाते हैं अर्थात इन नातेदारियों में एक दूरी बनाकर संवाद किया जाता है। वहीं समधी–समधन, देवर–भाभी, जीजा–साला, जीजा–साली, पोता–दादी, पोती–दादा, नाना–नातिन, नानी–नाती के बीच परिहास संबंध पाया जाता है अर्थात इन नातेदारों के बीच 'हंसी–ठठ्ठा'' (हास–विनोद) का संबंध

होता है।

कोल जनजाति में स्वजातीय सदस्यों से सामाजिक संबंध एवं ग्राम में निवासरत अन्य जाति सदस्यों से ग्राम व्यवस्था अंतर्गत आर्थिक सह–संबंध पाये जाते हैं। ग्राम में निवासरत लोहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई आदि की सेवाएं आर्थिक सह–संबंध के रूप में प्राप्त करते है। इसके बदले इन्हें धान या नगद रूपया दिया जाता है।

कोल जनजाति बर्हिविवाही गोत्रों में विभक्त है, इनके द्वारा गोत्र को ''बान'' कहा जाता है। "रौतेल", "ठाकुरिया", "कठौतहा", "सोनवानी", "सरैया", "घुरइया", "बरऊहा", "बधईया", "भूमिया", "पटकहा", "झलइहा", "कांशी", "गौटिया", "कथारिया" आदि प्रमुख ''बान'' या गोत्र माने जाते हैं। इनके गोत्र टोटेमिक होते हैं अर्थात प्रत्येक गोत्र का गोत्र चिन्ह पाया जाता है जो किसी जीव–जन्तु या पेड़–पौधों के नाम पर

आर्थिक जीवन

कोल जनजाति की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की है जो कृषि, मजदूरी, पशुपालन, वनोपज–संग्रहण, मत्स्याखेट एवं उद्यानिकी पर आधारित है। कृषि एवं मजदूरी जीवनयापन के मुख्य साधन है।

कोल जनजाति के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि है। इनके द्वारा मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। खेती पारंपरिक तरीके से की जाती है, अर्थात आधुनिक कृषि उपकरण, आधुनिक खाद या कीटनाशक आदि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है जिससे फसल की पैदावार कम होती है। सामान्यतः इनके द्वारा अपने खेतों में गोबर खाद का उपयोग किया जाता है।

धान के अलावा गेहूँ, मक्का, कोदो, कुटकी, मूंगफली, सरसों, तिल, मूंग, उड़द, अरहर आदि की पैदावार भी भूमि की उपलब्धता अनुसार किया जाता है। घर के पीछे के भाग को घेरकर ''बाड़ी'' बनाते हैं जिसमें मौसमी ''साग–भाजी'' (सब्जी) यथा गोभी, लौकी, बरबट्टी, करेला, भिण्डी, मूली, भटा, टमाटर, रखिया, लालभाजी एवं धनिया इत्यादि उगाते हैं।

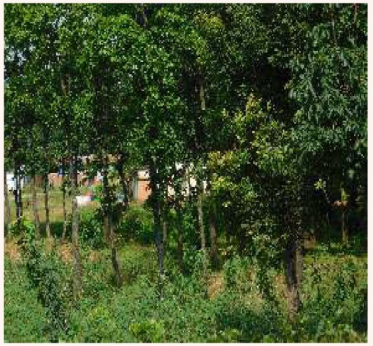

कोल जनजाति के आर्थिक जीवन में वनों का विशेष महत्व है। इनके द्वारा विभिन्न वनोपज यथा "महुआ", "तेन्दूपत्ता" "सालबीज", "चार", "चिरौंजी", "सालपत्ता" आदि का संकलन कर स्थानीय हाट बाजार या अन्य विक्रय केन्द्रों में नगद विक्रय कर अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता हैं। साथ ही विभिन्न कंदमूल, फुटू, करील, पत्ते, हर्रा–बहेड़ा, व जड़ी–बूटियां एकत्र कर उपयोग करते हैं। ईंधन के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, झाड़ू की सींक आदि भी वनों से प्राप्त कर स्थानीय हाट बाजार में भी विक्रय कर दैनिक उपयोग की वस्तुएं क्रय करते है। वनोपज संकंलन में स्त्रियों एवं बच्चों की सहभागिता अधिक होती है।

वर्तमान समय में इस जनजाति के लोग ज्यादातर मजदूरी कार्य में संलग्न है। मजदूरी कार्य में परिवार के सभी कार्यशील सदस्य स्त्री–पुरूष संलग्न होते हैं। कृषि मजदूरी, मनरेगा एवं अन्य उपलब्ध मजदूरी के कार्य में भी इनकी संलग्नता पायी जाती है।

इनके द्वारा मुर्गा–मुर्गी, बकरा–बकरी आदि का पालन स्वयं उपभोग, आतिथ्य सत्कार, धार्मिक कर्मकाण्ड के उद्देश्य से किया जाता है।

कभी–कभी इसका विक्रय भी किया जाता है। कृषि कार्य में उपयोग हेतु बैल एवं भैस का पालन किया जाता है। इसी प्रकार गाय का पालन बछड़ा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। गाय–बैल से प्राप्त गोबर का उपयोग घर के लिपाई एवं ईंधन हेतु कंडा बनाने के लिए करते हें। साथ ही गोबर से खाद भी तैयार किया जाता है।

यद्यपि वर्तमान में इनके द्वारा शिकार नहीं किया जाता है तथापि पूर्व समय में उपयोग किये गये शिकार उपकरण किसी–किसी परिवार द्वारा सुरक्षित रखा गया है। किंतु वर्तमान में अपने खेतों की फसल की रक्षा, बाड़ी में साग–भाजी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से छोटे जीव जन्तु, पक्षियों आदि का शिकार कर लिया जाता है। वही वर्षाकाल व शीत ऋतु में आसपास के नदी नाले, तालाब, खेत व अन्य जल स्रोतों में गरी, कुमनी, चोरिया, जाल आदि के माध्यम से मत्स्याखेट भी करते है। अन्य समय में उपभोग हेतु कोल लोग मछलियों को आग में भूंज कर, धूप में सुखाकर या चुल्हे के ऊपर धुये में सेंक कर **"सुक्सी"** बना कर भी रखते है।

न्याय व्यवस्था

कोल जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। यह ग्राम स्तर पर ग्राम में निवासरत सभी स्वजाति सदस्यों के सहयोग से संचालित होता है। इनके मुखिया को "गौटिया" कहते हैं। स्वजातीय लोगों में वाद–विवाद या अप्रिय घटना के होने पर सामाजिक न्याय व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। गांव स्तर पर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण "गौटिया" के माध्यम से किया जाता है। "गौटिया" का पद वंशानुगत होता है। पंच व चपरासी इनके सहायक है।

परंपरागत जाति पंचायत द्वारा अंतर्जातीय विवाह, सगोत्र विवाह, सामाजिक नियमों का उल्लंघन आदि प्रकरणों का निर ाकरण किया जाता है, साथ ही त्यौहार के तिथि निर्धारण, जीवन संस्कार यथा जन्म, विवाह एवं मृत्यु, ग्राम देवी–देवताओं की पूजा आदि कार्यों का संचालन किया जाता है। ग्राम स्तरीय जाति पंचायतों में निराकरण न होने पर परगना क्षेत्र (जिला स्तर) पर गठित जाति पंचायत में प्रकरण को रखा जाता है। दोषी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत करना मुख्य दण्ड है तथा समाज में पुनः मिलाने के लिए दण्ड स्वरूप नगद रूपया एवं सामाजिक भोज लिया जाता है।

जीवन संस्कार

जन्म

कोल जनजाति में प्रसव कार्य किसी जानकार महिला द्वारा कराया जाता है जिसे "दाई" कहते हैं। प्रसुता की लगभग एक सप्ताह तक दाई द्वारा देखभाल किया जाता है। नवजात शिशु का "नारा" (नाल) लोहे के औजार (चाकू–छुरी) से काटा जाता है। नाल को जिस स्थान पर गाड़ते हैं उस स्थान पर आग जलाकर शिशु की कुछ दिनों तक सिकाई की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से शिशु का नाल सुखकर जल्दी गिर जाता है। वर्तमान में इनके द्वारा संस्थागत प्रसव भी कराये जाने लगा हैं।

शिशु के नाल झड़ने पर प्रायः 6 दिन में छठी कार्यक्रम किया जाता है। शिशु जन्म के साथ परिवार को अशुद्ध माना जाता है। अतः छठी संस्कार मुख्य रूप से परिवार को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस दिन घर की लिपाई–पुताई की जाती है और कपड़ों को धोकर साफ किया जाता है। शिशु का मुण्डन कर उसे नहलाया जाता है और तेल लगाकर नया कपड़ा पहनाया जाता है। इसी प्रकार प्रसुता को भी नहलाकर नया कपड़ा पहनाया जाता है। छठी संस्कार में आये सभी नातेदारों को भोज कराया जाता है। अंत में घर के बुजुर्ग, बच्चे का नामकरण दिन, माह अथवा किसी पूर्वजों के नाम के आधार पर करते हैं।

विवाह

कोल जनजाति में विवाह हेतु पहल लड़के पक्ष द्वारा किया जाता है। इसके लिए अपने रिश्तेदारों में विवाह योग्य लड़की तलाश की जाती है। लड़की पसंद आ जाने पर लड़की पक्ष के परिवार वालों को अपने घर लड़का देखने के लिए बुलाते हैं। लड़का पसंद आ जाने व इस रिश्ते के लिए दोनों पक्ष की सहमति पश्चात स्वजाति सदस्यों के बीच रिश्ता पक्का करने के लिए ''सगाई'' या "गोड़धोवा" नामक एक कार्यक्रम लड़की पक्ष के घर में किया जाता है। इस दिन लड़की के लिए लाये नये कपड़े, तेल, श्रृंगार सामान एवं पूजा सामग्री वर एवं वधु के पिता द्वारा पहले कुल देवी–देवताओं को अर्पित कर होने वाली वधु को दिया जाता है। जिसके बाद "गोड़धोवा" की अन्य नेंग सम्पन्न किया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं ''कोल दहका'' गीत गाते हैं।

इनमें विवाह तीन या पांच दिन में संपन्न होता है। विवाह की प्रमुख रिवाजों में सर्वप्रथम सरई एवं जामुन पत्ते की डगाल से ''मंडप'' बनाया जाता है। इसके बाद घर के अंदर कुल देवी–देवताओं में तेल व हल्दी का लेप चढ़ाकर वर/वधु को भी उक्त लेप लगाया जाता है। अगले दिन ग्राम के सभी देवी–देवताओं के स्थान में जाकर उन्हें तेल–हल्दी का लेप अर्पित किया जाता है जिसे ''देवतला'' कहा जाता है। इसी दिन मंडप को घेर कर वहां वर/वधु के माता–पिता, चाचा–चाची आदि नये चुल्हे एवं नये बर्तन में पकवान बना कर सभी देवी–देवताओं को भोग लगाते हैं। इस रस्म को ''मायन'' के नाम से जाना जाता हैं।

अगले दिन परिवार के सभी सदस्य, नाते–रिश्तेदार एवं ग्राम के स्वजाति सदस्य वर को तैयार कर विवाह करने वधु के ग्राम जाने के लिए प्रस्थान करते हैं जिसे ''बरात'' जाना कहते हैं। वधु पक्ष द्वारा सभी बरातियों का बाजे–गाजे के साथ परघाया जाता है एवं उन्हें घर के मंडप के नीचे बैठाते हैं। यहां सबसे पहले वर के पिता द्वारा वधु के पिता को समाज द्वारा तय राशि, अनाज व अन्य आवश्यक सामग्री ''**वधुमूल्य**'' के रूप में दिया जाता है जिसे ''हथनैना'' कहा जाता है। इसके बाद समाज के मुखिया, बैगा व पंडा द्वारा विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। विवाह के समय ''**राई**'' ''**परघौनी**'' "**ददरिया**" एवं "**करमा**" नामक गीत गाये जाते हैं।

मृत्यु संस्कार

कोल जनजाति में मृतक के शव को जलाया जाता है किन्तु आकस्मिक मृत्यु या महामारी से मृत्यु होने एवं अविवाहित लोगों की मृत्यु होने पर शव को दफनाया जाता है। शव को जलाने की स्थिति में तीसरे दिन ''तीजवा'' नामक कार्यक्रम होता है जिसमें सर्वप्रथम परिवार के पुरूष सदस्य शमशान घाट जाकर वहां के राख एवं अन्य अवशेषों को समेट कर किसी नदी, नाला या तालाब में बहा देते हैं। उसे "राखफूल" उठाना कहते हैं। इसके बाद पहले महिलाएं एवं उसके बाद पुरूष तालाब, नदी, नाले से नहाकर कतारबद्ध तरीके से घर वापस आते हैं और घर के आंगन में बैठकर तेल व हल्दी का लेप अथवा जल अपने शरीर के ऊपर छिड़क कर शुद्ध करते हैं। तत्पश्चात सभी मिलकर भोजन करते हैं।

परम्परानुसार महिला की मृत्यु होने पर नौ दिन एवं पुरूष की मृत्यु होने पर दस दिन में परिवार की शुद्धिकरण हेतु एक कार्यक्रम किया जाता है जिसे ''दसो'' (दशगात्र) के नाम से जाना जाता है। किन्तु किसी विधवा महिला की मृत्यु होने पर उसका भी दस दिन में ''दशो'' नामक कार्यक्रम किया जाता हैं। इस दिन मृतक के सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। घर की लिपाई–पुताई की जाती है एवं कपड़ों को धोया जाता है। परिवार के पुरूष (सगोत्री भाई) सदस्यों का उनके जीजा या फुफा द्वारा मुंडन किया जाता है। ''तीजवा'' के समान ही महिलाएं एवं पुरूष नदी, नाले या तालाब से नहाकर घर वापस आते हैं। परिवार के पुरूषों को आंगन में बैठाकर कुछ धार्मिक कर्मकाण्ड पश्चात नये लुंगी या साफी से उनके सिर में पागा बांधा जाता है जिसे ''मुड़बंधी'' कहा जाता है। यह कार्य विवाह संबंधी नातेदारों (समधान) द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम के बाद शोकाकुल परिवार के सदस्य फिर से अपने गृह देवी–देवताओं की पूजा एवं अपने पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों का निर्वहण कर सकते है।

धार्मिक जीवन एवं त्यौहार

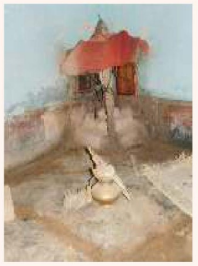

कोल जनजाति प्राकृतिक वस्तु, पूर्वज, आत्मा व कई अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं एवं उन्हें अपने आराध्य देवी–देवता मानते हैं। घर के मुख्य कमरे के एक कोने में मिट्टी से ''चौरी'' (चौरा) बनाकर वहां अपने पूर्वज देव एवं अन्य गृह देवी देवताओं को स्थापित करते हैं। ''मिचुक''व ''मिचुकिन'' आदि पूर्वज देव, ''दूल्हादेव'', ''अंधियारी'', '' खेरमाता'', ''मसवासी माता'', ''भईसोखर माता'', ''सत्ती माता'', ''कालीका माता'', ''आलोप'' आदि प्रमुख गृह देवी–देवता के रूप में माने जाते हैं। इनकी पूजा सभी त्यौहार एवं जीवन संस्कार के अवसरों पर बोकरा, सुमरा (सुवर), मुर्गा अथवा नारियल देकर किया जाता है। प्रत्येक तीन वर्ष में इनकी मुर्गा, बकरा आदि की भेंट चढ़ाकर विशेष रूप से पूजा किया जाता है जिसे ''**तीसला पूजा**'' कहते हैं।

ग्राम की सीमा में साल, पीपल आदि वृक्ष के झुण्ड के नीचे ग्राम देवी–देवताओं का वास मानते हैं। उक्त स्थान को ''चौरी'' के नाम से जाना जाता है। यहां मुख्य रूप से ''ठाकुर देव'', ''ठकुराईन'', ''मरखी दाई'', ''राकाश'', ''दानु बाबा'' एवं ''बघौत'' आदि देवी–देवताओं का वास माना जाता है जो ग्राम में आने वाली विपत्तियों, महामारी से इनकी रक्षा करते हैं। इनकी पूजा मुख्य रूप से ''नवाखानी'', ''बीज बोनी'', ''फगुवा'' (होली), '' खुंजलईहा'' या ''भोजलु'' (भोजली) आदि अवसरों पर किया जाता है।

कोल जनजाति के लोग अदृश्य शक्तियों पर भी विश्वास करते हैं और माना जाता है कि तंत्र–मंत्र एवं धार्मिक कर्मकाण्ड करने से ये शक्तियां प्रसन्न होती हैं और लोगों की समस्याएं दूर करती हैं। तंत्र–मंत्र के जानकार व्यक्ति को ''बैगा'' या ''पंडा'' कहा जाता है।

कोल जनजाति द्वारा मुख्य रूप से ''नवाखानी'', ''बीज बोनी'', ''हरेली'', ''फगुवा'' (होली), ''खुंजलईहा'' या ''भोजलु'' (भोजली) ''दशहरा'', ''दीवाली'', ''जवारा'' (नवरात्रि के समय) आदि त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है।

लोक परम्परा

कोल जनजाति त्यौहार, जन्म, विवाह, धार्मिक पूजा–पाठ एवं अन्य अवसरों पर गीत गाते हुए विभिन्न नृत्य करते हैं। इनके लोक नृत्य में ''कोल दहका'' नृत्य प्रमुख है। इसमें पुरूष वादक और गायक दोनों की भूमिका निभाते है। महिलाएं पारंपरिक वेश–भूषा में गीत गाते हुए नृत्य करती है। इसके गीत सवाल–जवाब की शैली में होते है। अन्य प्रमुख लोक गीत एवं लोक नृत्य में ''करमा'', ''ददरिया'', ''फाग'', ''माता सेवा'' इत्यादि है जिसमें गीत गाते हुए ''ढोल'', ''मादर'', ''ढोलकी'', ''तबला'', ''नगाड़ा'', ''मंजीरा'' एवं ''झांझ'' आदि के थाप में लोक लुभावन नृत्य किया जाता है।

विकास

कोल जनजाति के ग्रामों में शासन द्वारा सामुदायिक विकास, अधोसंरचनात्मक, हितग्राहीमूलक, शैक्षणिक–स्वास्थ्य संबंधी संचालित योजनाओं का प्रभाव निरंतर परिलक्षित हो रहा है।

ग्रामों में हैण्डपम्प, नाली, गौरवपथ, नल–जल योजना, कृषि उपकरण, आंगनबाड़ी, स्कूल, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सिंचाई पम्पस, पंचायत भवन, स्व–रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, खाद–बीज वितरण एवं तालाबों का निर्माण, अब दिखाई देने लगा है। अब इनके द्वारा विकास की मुख्यधारा में जुड़ने का प्रयास निरंतर समुदाय द्वारा किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की जनजातियों के छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला क्रमांक -24 'कोल'

संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
सेक्टर 24, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़
Website: cgtrti.gov.in, E-mail: trti.cg@nic.in
Phone: 0771-2960530, Fax: 0771-2960531

Virendra Kol 7415258321